



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171997

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या - 3013 वर्ष 2026

एक्स (किशोर)

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी पक्षकार(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अक्षय कुमार शुक्ला, रविन्द्र पाल सिंह कश्यप

विपक्षी पक्षकार(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा

विपक्षी पक्षकार पर नोटिस की तामील हो जाने के बावजूद, उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत (जिसे आगे "किशोर न्याय अधिनियम, 2015" कहा गया है) वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने तथा विद्वान विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), न्यायालय संख्या 3/अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा किशोर दाण्डिक अपील संख्या 23 वर्ष 2026 में पारित दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



03.04.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, बरेली द्वारा पारित दिनांक 24.02.2026 के आदेश को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने तथा पुनरीक्षणवादी को मुकदमा अपराध संख्या 215 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 333, 65(1), 64(2)म, 351(3) बी.एन.एस. तथा धारा 5एल/6, 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम थाना विशारतगंज, जनपद बरेली में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में वह निर्दोष है और उसके विरुद्ध लगभग 16 वर्ष की आयु की बताई गई पीड़िता के साथ बलात्कार करने के आरोप में झूठा फँसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना के समय विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की आयु लगभग 14 वर्ष 14 माह और 10 दिन थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार पुनरीक्षणवादी ने पीड़िता के साथ दो वर्ष की अवधि तक शारीरिक संबंध स्थापित किए, किंतु पीड़िता अथवा उसके माता-पिता की ओर से कोई शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। दिनांक 11.08.2025 को रात्रि लगभग 8 बजे पुनरीक्षणवादी ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया।

इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता का कथन विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि पुनरीक्षणवादी ने उसी दिन उसके घर में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाया गया आरोप तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज कथन परस्पर विरोधाभासी हैं और पीड़िता के शरीर पर, उसके साथ वर्तमान पुनरीक्षणवादी द्वारा किए गए बलात्कार के आरोप के समर्थन में, आंतरिक अथवा बाह्य किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गई। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचार नहीं किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत आवेदन का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक दिनांक 25.12.2025 से किशोर देखरेख गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। अतः किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने तथा दाण्डिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया।

वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की आयु, पीड़िता के कथन, उसके द्वारा पर्यवेक्षण गृह में बिताई गई अवधि तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों और जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 24.02.2026 को तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2026 को पारित आदेशों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है और वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह निर्देशित किया जाता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक/आवेदक को पुनरीक्षणवादी (विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का विधिक संरक्षक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक यह वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात् पुनरीक्षणवादी को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

(ii) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक आगे इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि किशोर अपनी उपयुक्त स्तर की शिक्षा जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अनुत्पादक तथा अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर तथा पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिक अवधि के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

14 अगस्त, 2026

अनुराग सिंह

(न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”